

राजस्थान सरकार
अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर

क्रमांक: निस/प्रशास/असमा/2011/761


जयपुर, दिनांक: 13.09.2011

:: कार्यालय आदेश ::

अल्पसंख्यक कल्याण योजना अन्तर्गत अनुप्रति योजना संचालन नियम - 2011 अभिवृद्धि


प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश क्रमांक 366 दिनांक 23.05.2011 के क्रम में अल्पसंख्यक कल्याण योजना अन्तर्गत अनुप्रति योजना संचालन नियम --2011 के भाग-दो में वर्णित शीर्ष शिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु AICTE द्वारा प्रमाणित राष्ट्रीय स्तर के NIT's में निम्न प्रोत्साहन राशि एतद् स्वीकृत की जाती है।

ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्नीकल एजुकेशन(AICTE) के द्वारा प्रमाणित राष्ट्रीय स्तर के प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT's)	परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरांत अभ्यर्थी को देय अनुदान की राशि 40,000/- (चालीस हजार रुपये)
---	---


(रोहित आर0 ब्राण्डन)
प्रमुख शासन सचिव
अल्पसंख्यक मामलात

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग राज0, जयपुर
3. महालेखाकार, राज0 जयपुर
4. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0 जयपुर
5. लेखाधिकारी अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर
6. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी,.....
7. रक्षित पत्रावली।


प्रमुख शासन सचिव
अल्पसंख्यक मामलात